उत्तराखण्ड, शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या 550/2022/XXVII(9)/स्टाम्प–48/2008
देहरादूनः दिनांक 27 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2, 1899) (समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए तथा अधिसूचना संख्या 341(1)/XXVII(9)/2013/स्टाम्प–48/2008 दिनांक 23 जुलाई, 2013 का अधिक्रमण करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से अनुसूची 1बी के अनुच्छेद 23 खण्ड (क) के अन्तर्गत निःशक्त व्यक्तियों के पक्ष में रूपये 25 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) तक मूल्य की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में पच्चीस प्रतिशत (25%) की छूट किसी भी निःशक्त व्यक्ति को उसके जीवनकाल में अधिकतम 02 बार अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। निःशक्तता से क्रमशः (1) अन्धता (दृष्टि बाधित) (2) कम दृष्टि (3) कुष्ठरोगमुक्त (4) श्रवण शक्ति का ह्रास (श्रवण बाधित) (5) चलन निःशक्तता (6) मानसिक मंदता (7) मानसिक रूग्णता अभिप्रेत है।

2– परन्तु यदि किसी लिखत के सम्बन्ध में किसी निःशक्त व्यक्ति के पक्ष में अन्तरण विलेख का मूल्य पच्चीस लाख रूपये से अधिक निर्धारित किया जाता है, तो उस पर स्टाम्प शुल्क की गणना में पच्चीस लाख रूपये मूल्य तक स्टाम्प शुल्क में पच्चीस प्रतिशत की छूट दी जाएगी और पच्चीस लाख रूपये से अधिक मूल्य पर स्टाम्प शुल्क की गणना, पूर्व निर्धारित दरों के अनुसार प्रभार्य होगी तथा यह भी कि निःशक्त व्यक्तियों के पक्ष में इस अधिसूचना के द्वारा प्रदान की जा रही छूट के साथ किसी दूसरी अधिसूचित स्टाम्प छूट का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरणः– निःशक्त व्यक्तियों से तात्पर्य प्रचलित यथाविधि अनुसार यथापरिभाषित से है।

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 26-12-2022 15:36:21

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्याः– 550 /2022/XXVII(9)/स्टाम्प–48/2008, तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. - समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. - समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. - महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. - समस्त सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड।
5. - समस्त जिला निबंधक, उत्तराखण्ड।

Generated from eOffice by ARUNA CHOUDHARY, SO-AC-FINANCE 9, SECTION OFFICER, Finance Department on 27/12/2022 12:46 PM